Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLIECTOR,ALWAR,RAJASTHAN

No.(41)/Vividh/FRA/Rev./2019/ 3022 Date. 3/10/19

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Governmet of India's leter No. 11-F/98-FC (Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of sattlemennt of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forests Rights) Act (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's dated 5th February 2013 wherin MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 5.90 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer PWD NCRPB Division Alwar for construction of Padisal, Jagta-Basai, Rata-Khurd, Balan-Basai, Shaymaka, Ismailepur, Ganj. Kishangarh Bas Km 6/0 to 12/0 in District Alwar falls within jurisdiction of Gram panchayat Rata khurd village Balan Basai, Nangli Janardan & Gram Panchayat Jeelota village Shyamaka in panchayat samiti Kishangarh Bas.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.90 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Sub Division Level Committes and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas has given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Grops and Pre agricultural communities.

Encl.: As above

(INDERJEET SINGH)
District Collector
Alwar

No.(41)/Vividh/FRA/Rev./2019/ 3023-27 Date. 3/10/19

Copy to:-

1. Executive Engineer PWD NCRPB Division Alwar.
2. Dy. Forest Conservater officer ,Alwar.
3. A.D. S.J.E.D. Alwar.
4. Sub Divitional Officer, Kishangarhbas.
5. A.C.E.O Zila Parishad, Alwar.

ADM (1st)& OIC
Revenue Secition,
Alwar

Scanned by CamScanner

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, की दिनांक 30.09.2019 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 30.09.2019 को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 12, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानो के अनुसार जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में जिसमें निम्न पदाधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए :–

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री रामचरण शर्मा	अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, अलवर	
2.	डी. ए.एस. गुप्ता	DCF Alwar	
3	संगीत कुमार	SE PWD अलवर	
4	हरीसिंह	XEn PWD (NCRPB) Alwar	
5	नवल खान	A.D. S.J.E.D.	
6	सुरेन्द्र प्रसाद	एस.डी.ओ. किशनगढ़बास	
7	नरेश सिंह तंवर	ACEO ZP Alwar	
8.			

P.C. attested

प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट, अलवर

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया:–

- अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. एनसीआरपीबी खण्ड अलवर द्वारा तहसील किशनगढबास/पंचायत समिति किशनगढबास की पडीसल जगताबसई राताखुर्द बालनबसई श्यामाका ईस्माईलपुर किशनगढबास सडक के निर्माण एवं विकास कार्य के लिए ग्राम पंचायत राताखुर्द व जीलोता के ग्राम बालनबसई से श्यामाका सडक खण्ड में वन क्षेत्र के निम्न खसरा नम्बरों की आ रही भूमि के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 2, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति/एनओसी जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिस पर बैठक में उक्त सडक निर्माण में आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति/एनओसी जारी करने बाबत विचार विमर्श किया गया:–

क्र.सं.	नाम ग्राम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म
1	बालनबसई	किशनगढबास	261	0.52	जंगलात
2	बालनबसई	किशनगढबास	101	0.86	जंगलात
3	बालनबसई	किशनगढबास	100	0.78	जंगलात
4	बालनबसई	किशनगढबास	1	0.45	जंगलात
5	नंगली जनार्दन	किशनगढबास	176	0.66	जंगलात
6	नंगली जनार्दन	किशनगढबास	159	0.27	जंगलात
7	नंगली जनार्दन	किशनगढबास	72	0.03	जंगलात
8	नंगली जनार्दन	किशनगढबास	2	0.62	जंगलात
9	श्यामाका	किशनगढबास	454	0.23	जंगलात

P.T.O

Scanned by CamScanner

10	श्यामाका	किशनगढबास	447	0.52	जंगलात
11	श्यामाका	किशनगढबास	412 / 504	0.39	जंगलात
12	श्यामाका	किशनगढबास	381	0.49	जंगलात
13	श्यामाका	किशनगढबास	205	0.08	जंगलात
	कुल			5.90 हैक्टेयर	

- उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगढबास एवं ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम पंचायत राताखुर्द एवं जीलोता की बैठक में उक्त सडक निर्माण में आ रही वन भूमि से संबंधित कोई दावा एवं आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन व लम्बित नही होने से प्रत्यावर्तन की सहमति / एनओसी जारी करने की अभिशंषा की गयी है।
- इस प्रकार ग्राम बालनबसई से श्यामाका सडक निर्माण में वन क्षेत्र की आ रही उक्त खसरा नम्बरों की वन भूमि से संबंधित कोई दावा आपत्ति एवं आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन अथवां लम्बित नही होन के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 2, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत बैठक में उक्त सडक निर्माण कार्य लोक हित में सार्वजनिक प्रयोजन की दृष्टि से होने के कारण वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति / एनओसी जारी करने हेतु उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सहमति का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

30/09/19
अति० जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

जिला कलक्टर
अलवर

फोटो
प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा)
कलक्ट्रेट, अलवर

Scanned by CamScanner

(A)

(1)

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, किशनगढबास की दिनांक 22.07.2019 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण– कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास, अलवर

आज दिनांक 22.07.2019 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 12 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानो के अनुसार उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगढबास की बैठक उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगढबास के निम्न सदस्य, अधिकारी एवं मान0 जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुएः–

क्र.सं.	नाम जनप्रतिनिधि / सदस्य / अधिकारी	पद नाम
1	श्री ओमप्रकाश रोघा	मान0 प्रधान, पंचायत समिति किशनगढबास
2	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास
3	श्री बबलीराम जाट	विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगढबास
4	श्री देवीराम मीना	तहसीलदार किशनगढबास
5	श्री आर.पी. शर्मा	सहायक अभियन्ता सा. नि वि. एनसीआरपीबी खण्ड अलवर
6	श्री अनिल शर्मा	क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगढबास
7	श्रीमती ज्योति गुर्जर	पंचायत समिति सदस्य किशनगढबास
8	श्री महेन्द्र जाटव	सचिव ग्राम पंचायत राताखुर्द
9	सुश्री वन्दना अलोरिया	सचिव ग्राम पंचायत जीलोता
10		

नोटः– उपस्थिति विवरण पत्रक संलग्न है।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाकर निम्न निर्णय लिए गयेः–

- सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. एनसीआरपीबी खण्ड अलवर द्वारा तहसील किशनगढबास/ पंचायत समिति किशनगढबास की पडीसल जगताबसई राताखुर्द बालनबसई श्यामाका ईस्माईलपुर किशनगढबास सडक के निर्माण एवं विकास कार्य के लिए ग्राम पंचायत राताखुर्द व जीलोता के ग्राम बालनबसई से श्यामाका सडक खण्ड में वन क्षेत्र के निम्न खसरा नम्बरों की आ रही भूमि के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 2, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति/एनओसी जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिस पर बैठक में उक्त सडक निर्माण में आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति/एनओसी जारी करने बाबत विचार विमर्श किया गयाः–

प्रभारी अधिकारी (...) कलक्ट्रेट, अलवर

क्र.सं.	नाम ग्राम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म
1	बालनबसई	किशनगढबास	261	0.52	जंगलात
2	बालनबसई	किशनगढबास	101	0.86	जंगलात
3	बालनबसई	किशनगढबास	100	0.78	जंगलात
4	बालनबसई	किशनगढबास	1	0.45	जंगलात

22.8.19

Scanned by CamScanner

5	नंगली जनार्दन	किशनगढबास	176	0.66	जंगलात
6	नंगली जनार्दन	किशनगढबारा	159	0.27	जंगलात
7	नंगली जनार्दन	किशनगढबास	72	0.03	जंगलात
8	नंगली जनार्दन	किशनगढबास	2	0.62	जंगलात
9	श्यामाका	किशनगढबास	454	0.23	जंगलात
10	श्यामाका	किशनगढबास	447	0.52	जंगलात
11	श्यामाका	किशनगढबास	412/504	0.39	जंगलात
12	श्यामाका	किशनगढबास	381	0.49	जंगलात
13	श्यामाका	किशनगढबास	205	0.08	जंगलात
	कुल			5.90 हैक्टेयर	

- ग्राम बालनबसई से श्यामाका सडक निर्माण में वन क्षेत्र की आ रही उक्त खसरा नम्बरों की 5.90 हैक्टेयर वन भूमि से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 2, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन दावा एवं आपत्तियों के संबंध में बैठक में उपस्थित सदस्य विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगढबास ~~एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी~~ किशनगढबास द्वार अवगत कराया है कि उक्त वन भूमि का कोई भी दावा आपत्ति एवं आवेदन पत्र उनके कार्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन/लम्बित नही है।
- ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति ग्राम पंचायत राताखुर्द एवं जीलोता की दिनांक 04.07.2019 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक के प्रस्ताव संख्या क्रमशः 4 एवं 2 के अनुसार ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति स्तर पर भी उक्त सडक निर्माण में आ रही वन भूमि से संबंधित कोई दावा आपत्ति एवं आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन व लम्बित नही होने से प्रत्यावर्तन की सहमति/एनओसी जारी करने की, की गई अभिशंषा पर बैठक में विचार विमर्श किया गया।
- उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति किशनगढबास के स्तर पर भी उक्त वन भूमि से संबंधित कोई भी दावा/ आपत्ति / आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन एवं लम्बित नही है।
- इस प्रकार ग्राम बालनबसई से श्यामाका सडक निर्माण में वन क्षेत्र की आ रही उक्त खसरा नम्बरों की वन भूमि से संबंधित कोई दावा आपत्ति एवं आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन अथवा लम्बित नही होने के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 2, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत किशनगढबास उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा उक्त सडक निर्माण कार्य लोक हित में सार्वजनिक प्रयोजन की दृष्टि से होने के कारण वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति/ एनओसी जारी करने हेतु उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रकट कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को अनुमोदन हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रभारी अधिकारी (राजस्व) कलक्ट्रेट, अलवर

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

22.7.19

अनिल शर्मा क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनगढबास	बबलीराम जाट विकास अधिकारी पं. स. किशनगढबास	देवीराम मीना तहसीलदार किशनगढबास	सुरेन्द्र प्रसाद उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास

ओमप्रकाश रोघा
प्रधान पं.स. किशनगढबास

(आर. पी. शर्मा)
सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. ...
उप खण्ड-प्रथम, अ...

Scanned by CamScanner

ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, ग्राम पंचायत राताखुर्द पंचायत समिति किशनगढबास की दिनांक 04.07.2019 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण– स्थान– ~~अटल~~ राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत राताखुर्द पंचायत समिति किशनगढबास, जिला अलवर

आज दिनांक 04.07.2019 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 2, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम पंचायत राताखुर्द की बैठक मान0 सरपंच, ग्राम पंचायत राताखुर्द की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति राताखुर्द के निम्न सदस्य, अधिकारी एवं मान0 जनप्रतिनिधि गण उपस्थित हुएः–

क्र.सं.	नाम जनप्रतिनिधि / सदस्य / अधिकारी	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमती तारा कंवर	सरपंच	तारा कंवर
2	श्री महेन्द्र जाटव	सचिव	महेन्द्र
3	श्री संदीप मिश्रा	पटवारी	संदीप
4	श्री राजू	वार्ड पंच	राजू
5	श्री अंगूरी देवी	वार्ड पंच	अंगूरी
6	श्रीमती पूनम यादव	वार्ड पंच	पूनम
7	श्रीमती रमजाना	उपसरपंच	रमजाना
8	श्रीमती सावित्री	वार्ड पंच	सावित्री
9	श्री गुमानी राम	वार्ड पंच	गुमानी पंच
10	श्रीमती स्वर्ण कौर	वार्ड पंच	[illegible] कौर
11	श्रीमती गुमान देवी	वार्ड पंच	—
12	श्री दुलजी राम	सदस्य	दुलजी
13	श्री नारायण लाल	सदस्य	नारायण
14	श्री रामनिवास	सदस्य	रामनिवास
15			

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाकर निम्न निर्णय लिए गयेः–

- श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. एनसीआरपीबी खण्ड अलवर द्वारा तहसील किशनगढबास / पंचायत समिति किशनगढबास की पडीसल जगताबसई से किशनगढबास सडक के निर्माण में ग्राम पंचायत राताखुर्द के ग्राम बालनबसई से श्यामाका सडक खण्ड निर्माण में वन क्षेत्र के निम्न खसरा नम्बरों की आ रही भूमि के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 2, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति / एनओसी जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिस पर बैठक में उक्त सडक निर्माण में आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति / एनओसी जारी करने बाबत विचार विमर्श किया गया।

क्र.सं.	नाम ग्राम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म
1	बालनबसई	किशनगढबास	261	0.52	जंगलात
2	बालनबसई	किशनगढबास	101	0.86	जंगलात
3	बालनबसई	किशनगढबास	100	0.78	जंगलात

Scanned by CamScanner

4	बालनबसई	किशनगढबास	1	0.45	जंगलात
5	नंगली जनार्दन	किशनगढबास	176	0.66	जंगलात
6	नंगली जनार्दन	किशनगढबास	159	0.27	जंगलात
7	नंगली जनार्दन	किशनगढबास	72	0.03	जंगलात
8	नंगली जनार्दन	किशनगढबास	2	0.62	जंगलात

- ग्राम बालनबसई से श्यामाका सडक निर्माण में वन क्षेत्र की आ रही उक्त खसरा नम्बरों की 4.17 हैक्टेयर वन भूमि से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 2, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत राताखुर्द व ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति राताखुर्द के स्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन अथवा लम्बित नही है। बैठक में उपस्थित सदस्य सचिव ग्राम पंचायत राताखुर्द पंचायत समिति किशनगढबास द्वारा अवगत कराया कि– उक्त वन भूमि का कोई भी दावा, आपत्ति व आवेदन पत्र उनके कार्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन/लम्बित नही है।
- इस प्रकार ग्राम बालनबसई से श्यामका सडक निर्माण में वन क्षेत्र की आ रही उक्त खसरा नम्बरों की वन भूमि से संबंधित कोई दावा, आपति एवं आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन अथवा लम्बित नही होने के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 2, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति राताखुर्द द्वारा उक्त सडक निर्माण कार्य **"लोकहित में सार्वजनिक प्रयोजन की दृष्टि"** से होने के कारण वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति / एनओसी जारी करने हेतु उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रकट कर उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगढबास को अनुमोदन हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

तारा कँवर
सरपंच
ग्राम पंचायत राताखुर्द
पं० स० किशनगढ़-बास (अलवर)

क्रमांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढबास
2. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. वि. एनसीआरपीबी खण्ड अलवर।
3. श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगढबास।
4. श्रीमान तहसीलदार, तहसील किशनगढबास।
5. श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय, किशनगढबास।
6. मान0 सरपंच ग्राम पंचायत राताखुर्द, पंचायत समिति किशनगढबास।
7. ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति राताखुर्द के मान0 सदस्य श्री ....

तारा कँवर
सरपंच
ग्राम पंचायत राताखुर्द
पं० स० किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

.कार्यालय ग्राम पंचायत राताखुर्द पंचायत समिति किशनगढबास, जिला अलवर (राज.)

ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग एनसीआरपीबी खण्ड अलवर द्वारा एनसीआरपीबी योजनातर्गत पडीसल जगताबसई राताखुर्द बालनबसई श्यामाका ईस्माईलपुर किशनगढबास सडक का निर्माण एवं विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम बालनबसई व नंगली जनार्दन की वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों हेतु ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 04.07.2019 को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि प्रत्यावर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा में प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप सम्पादित किए जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की सम्भावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्नकः ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

दिनांकः– 04.07.2019

सरपंच
ग्राम पचायत राताखुर्द
पं० स० किशनगढ़-बास (अलवर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत राताखुर्द
पं.स. किशनगढ़ बास (अलवर)

सरपंच/सचिव
हस्ताक्षर, नाम एवं मुद्रा सहित

Scanned by CamScanner

ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, ग्राम पंचायत जीरोता पंचायत समिति किशनगढबास की दिनांक 04.07.2019 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण– स्थान– अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत जीरोता पंचायत समिति किशनगढबास, जिला अलवर

आज दिनांक 04.07.2019 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 2, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम पंचायत जीरोता की बैठक मान0 सरपंच, ग्राम पंचायत जीरोता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति जीरोता के निम्न सदस्य, अधिकारी एवं मान0 जनप्रतिनिधि गण उपस्थित हुए:–

क्र.सं.	नाम जनप्रतिनिधि / सदस्य / अधिकारी	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमती संगीता जाटव	सरपंच	संगीता
2	श्रीमती वंदना अलोरिया	सचिव	[illegible]
3	श्री मुंशी खॉ	उपसरपंच	मुन्शी
4	श्रीमती सुमित्रा	पटवारी	[illegible]
5	श्रीमती लक्ष्मी	वार्ड पंच	लक्ष्मी
6	श्रीमती संगीता	वार्ड पंच	Sangi
7	श्री शेर खॉ	वार्ड पंच	
8	श्री कमरूद्दीन	वार्ड पंच	
9	श्री हुकम चन्द	सदस्य	हुकम
10	श्री अशोक कमार	सदस्य	अशोक कुमार

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाकर निम्न निर्णय लिए गयेः–

- श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. एनसीआरपीबी खण्ड अलवर द्वारा तहसील किशनगढबास / पंचायत समिति किशनगढबास की पडीसल जगताबसई से किशनगढबास सडक के निर्माण में ग्राम पंचायत जीरोता के ग्राम बालनबसई से श्यामाका सडक खण्ड के निर्माण में वन क्षेत्र के निम्न खसरा नम्बरों की आ रही भूमि के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 2, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति / एनओसी जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिस पर बैठक में उक्त सडक निर्माण में आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति / एनओसी जारी करने बाबत विचार विमर्श किया गया।

क्र.सं.	नाम ग्राम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म
1	श्यामाका	किशनगढबास	454	0.23	जंगलात
2	श्यामाका	किशनगढबास	447	0.52	जंगलात
3	श्यामाका	किशनगढबास	412/504	0.39	जंगलात
4	श्यामाका	किशनगढबास	381	0.49	जंगलात
5	श्यामाका	किशनगढबास	205	0.08	जंगलात

Scanned by CamScanner

- ग्राम बालनबसई से श्यामाका सडक निर्माण में वन क्षेत्र की आ रही उक्त खसरा नम्बरों की 1.71 हैक्टेयर वन भूमि से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 2, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीरोता व ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति जीरोता के स्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन अथवा लम्बित नही है। बैठक में उपस्थित सदस्य सचिव ग्राम पंचायत जीरोता पंचायत समिति किशनगढबास द्वारा अवगत कराया कि– उक्त वन भूमि का कोई भी दावा, आपत्ति व आवेदन पत्र उनके कार्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन/लम्बित नही है।
- इस प्रकार ग्राम बालनबसई से श्यामका सडक निर्माण में वन क्षेत्र की आ रही उक्त खसरा नम्बरों की वन भूमि से संबंधित कोई दावा, आपति एवं आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन अथवा लम्बित नही होने के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनु0 2, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति जीरोता द्वारा उक्त सडक निर्माण कार्य **"लोकहित में सार्वजनिक प्रयोजन की दृष्टि"** से होने के कारण वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सहमति / एनओसी जारी करने हेतु उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रकट कर उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगढबास को अनुमोदन हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

सरपंच
ग्राम पंचायत जिलोता
पं0 स0 किशनगढ-बास (अलवर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत जिलोता
पं0 स0 किशनगढ-बास (अलवर)

क्रमांक:–

दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढबास
2. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. वि. एनसीआरपीबी खण्ड अलवर।
3. श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगढबास।
4. श्रीमान तहसीलदार, तहसील किशनगढबास।
5. श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय, किशनगढबास।
6. मान0 सरपंच ग्राम पंचायत जीरोता, पंचायत समिति किशनगढबास।
7. ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति जीरोता के मान0 सदस्य श्री ....

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत जिलोता
पं0 स0 किशनगढ-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

कार्यालय ग्राम पंचायत जीरोता पंचायत समिति किशनगढबास, जिला अलवर (राज.)

ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग एनसीआरपीबी खण्ड अलवर द्वारा एनसीआरपीबी योजनातर्गत पडीसल जगताबसई राताखुर्द बालनबसई श्यामाका ईस्माईलपुर किशनगढबास सडक का निर्माण एवं विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम श्यामाका की वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पात्र वन निवासियों हेतु ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 04.07.2019 को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि प्रत्यावर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा में प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप सम्पादित किए जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की सम्भावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्नकः ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

संगीता

सरपच
ग्राम पंचायत जिलोता
पं० स० किशनगढ़ बास (अलवर)

दिनांकः– 04.07.2019

सरपंच/सचिव
हस्ताक्षर, नाम एवं मुद्रा सहित

Scanned by CamScanner

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD NCRPB Division Alwar

No. Date.

The District Collector
Alwar (Rajasthan)

Sub:- **Diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980- For the Construction of Padisal –JagtaBasai-RattaKhurd- BalanBasai-Shyamka-Ismailpur- Ganj- Kishangarhbas road of Alwar District in the State of Rajasthan Under NCRPB – ensuring compliance of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.**

Ref: **The DFO, Alwar letter no. F ( ) FCA/ DFO/ 2019-20/ 5388 Dated 21.06.19**

Sir,

The GoR through PWD has taken the Construction and Development of Various State, District and Village roads in Alwar district. GoR has taken the financial Assistance as loan from National Capital Region Planning Board (NCRPB). The Construction of Padisal –JagtaBasai-RattaKhurd- BalanBasai-Shyamka-Ismailpur- Ganj- Kishangarhbas road is one of them.

The Detailed Project Report of the Road has prepared by Consultant. As per the final alignment, construction of Road section shall require 5.9 Ha forest land in BasaiBalan, Nangli Janardan, Syamaka Villages of Kishangarhbas tehsil. The details of the affected Land in forest area are as follow :-

Sr no.	District	Tehsil	Village Name	Ch.	khasra no.	khasra no.	Total area (Hect.)
1	Alwar	K.G Bas	Basai Balan	5900-8125	261	0.5	2.59
2					101	0.86	
3					100	0.78	
4					1	0.45	
5	Alwar	K.G Bas	Nangli Janardan	8125-10500	176	0.66	1.58
6					159	0.27	
7					72	0.03	
8					2	0.62	
9	Alwar	K.G Bas	Syamaka	10500-12000	454	0.23	1.71
10					447	0.52	
11					412	0.39	
12					381	0.49	
13					205	0.08	
						Total	**5.88 Say- 5.90**

Scanned by CamScanner

The Public works department NCRPB division Alwar has made an online application for diversion of 5.9 Ha. Forest land as per Forest conservation Act 1980. As per the process of forest diversion applicant need to provide following from District Collector:

1. FRA Certificate (Forest right act) the proforma of certificate is enclosed here with.
2. Allotment/ Reservation of land in favour of forest department (5.9 Ha).

In this regard kindly issue FRA certificate for above mentioned affected land, and allot/ Reserve 5.9 Ha. land in favour of forest department.

Thanking You,

Encl: As above

Sd

(Sangeet Kumar)
Executive Engineer
PWD NCRPB Dn.Alwar

No. 137 Date: 25/06/19

Copy to the following for information & necessary action please.

1. The Superintending Engineer P.W.D. Circle Alwar.
2. The District Forest Officer Alwar.
3. Assistant Engineer P.W.D NCRPB Sub Div. I Alwar

Executive Engineer
PWD NCRPB Dn.Alwar

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. एनसीआरपीबी खण्ड अलवर

क्रमांकः– 350 दिनांकः– 9/10/19

श्रीमान जिला कलक्टर
अलवर

विषयः– पडीसल – जगताबसई – राताखुर्द – बालन बसई – श्यामाका – ईस्माईलपुर – गंज – किशनगढबास रोड में आ रही 5.90 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये समतुल्य गैर वनभूमि का वन विभाग के पक्ष में आवंटन/आरक्षित करने बाबत।

संदर्भ – आपका पत्रांक (41) (विविध)/एफ.आर.ए./रेवन्यू/2019/3022 दिनांक 03.10.19 व इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक 137 दिनांक 25.06.2019

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त सडक के निर्माण में 5.90 हैक्टेयर वनभूमि आ रही है जिसके प्रत्यावर्तन की ऑनलाईन प्रक्रिया वन विभाग में विचाराधीन है। उप वन संरक्षक अलवर द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत अनापत्ति एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु अपने पत्रांक 5388 दिनांक 21.06.19 समतुल्य 5.9 हैक्टेयर भूमि का वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में आवंटन किये जाने हेतु लिखा है।

प्रासांगिक पत्र द्वारा श्रीमान द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत अनापत्ति पत्र जारी हो चुका है। समतुल्य 5.90 हैक्टेयर भूमि का आवंटन वन विभाग के पक्ष में किये जाने की कृपा करें, जिससे भूमि के प्रत्यावर्तन की कार्यवाही पूरी हो सके।

(भूरी सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता
सानिवि एनसीआरपीबी
खण्ड अलवर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं।

1. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत, अलवर
2. सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. एन.सी.आर.पी.बी. उपखण्ड प्रथम अलवर

अधिशाषी अभियन्ता
सानिवि एनसीआरपीबी
खण्ड अलवर

Scanned by CamScanner